न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 14/2021
GCMS No-2021/63

प्रार्थी:—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली हाल बांसवाडा		रेवंतसिंह पुत्र श्री जवाहरसिंह राजपुरोहित, मैसर्स मां जोधपुर स्वीट्स, नया बस स्टेण्ड के सामने, पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :—

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अनुपस्थित।
2. अप्रार्थी उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक : 10.03.22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने नियत तारीख पेशी को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के पद पर पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 31.10.2020 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मां जोधपुर स्वीट्स, नया बस स्टेण्ड के सामने, पाली पर गये। जिस पर अप्रार्थी श्री रेवतंसिंह सिंह उपस्थित मिला तथा उसकी फर्म का निरीक्षण करने पर खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डु घी में बने हुए जो आमजन को बिक्री रखा पाया गया, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डु घी से बने हुए को वास्ते जांच हेतु क्रय किया, उक्त क्रयसुदा बेसन के लड्डु घी से बने हुए को चार भागो में विभाजित कर साफ व सूखी शीशियों में डालकर उसमें 40—40 बुन्द फॉरमेलिन डालकर चार लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर—1119 अंकित किया एवं नमूने का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की, जिस पर अप्रार्थी, गवाहान एंव स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। प्रत्येक नमुना शीशी को गोद से लेबल को चिपकाया। प्रत्येक नमुना शीशी को अलग—अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर गोद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना शीशी पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड व क्रमांक आर—1119, गोद से नियमानुसार चारो नमूना शीशी के मुह से पैदे की ओर चिपकाई तथा प्रत्येक नमूना शीशी को नियमानुसार धागे से बांध कर चपडी से सीलबंद कर सील मुहर किया जिस पर विक्रेता एवं गवाहान ने नियमानुसार हस्ताक्षर किये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। मौके पर मौका फर्द तैयार कर अप्रार्थी एंव गवाहान को पढकर सुनाया, जिसे सुनकर समझकर एवं सही मान कर अप्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमुना कोड क्रमांक आर—1119 को वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर की रिपोर्ट संख्या एलएस/659/एक्ट/ 2020/659 दिनांक 09.11.2020 द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डु घी मे बने हुऐ को Sub-Standard का

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

होना जाहिर किया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub-Standard खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू घी से बने हुए का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया कर कम से कम जुर्माना आरोपित करने का निवेदन किया है।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीकी स्वीकारोक्ति पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 31.10.2020 को अप्रार्थी की फर्म से बेसन के लड्डू घी से बने हुए क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1119 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./659/एक्ट/2020/659 दिनांक 09.11.2020 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–1119 को Sub-standard माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है। चूंकि प्रकरण में अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया है तथा स्वीकारोक्ति के पश्चात किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2 (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub-standard खाद्य वस्तु का विर्निमाण एवं विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 25000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 10.03.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली